जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(वित्त एवं लेखा शाखा)

पी.एफ. कमेटी की बैठक दिनांक 12.12.2020 को माननीय कुलपति महोदय के कक्ष में अपरान्ह 2.00 बजे आहुत की गयी है जिसमें बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है।

बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण।

1.	प्रो. पी.सी.त्रिवेदी (कुलपति)	अध्यक्ष
2.	प्रो. संगीता लुकड	सदस्य सिंडिकेट
3.	प्रो. चैनाराम चौधरी	सदस्य (Subscriber)
4.	प्रो. आर.के. यादव	सदस्य (Subscriber)
5.	श्री प्रफुल्ल मेहता	सदस्य अशैक्षणिक
6.	श्री नरेश गहलोत	सदस्य अशैक्षणिक
7.	श्री मगंलाराम बिश्नोई	सदस्य वित्त नियत्रंक (Non Secretary)

आइटम नं. 01 – दिनांक 27.03.2019 को पी.एफ. कमेटी बैठक विवरण का अनुमोदन।

आइटम नं. 02 – दिनांक मार्च 2020 में टेलीफोनिक वार्ता द्वारा विनियोग की गयी राशि पर नोटशीट पर कुलपति जी द्वारा दी गयी स्वीकृति का अनुमोदन।

आइटम नं. 03 – 27.03.2019 की Action Taken Report का अनुमोदन तथा वित्त नियत्रंक द्वारा विश्वविद्यालय के पी.एफ. के कोषालय जोधपुर (शहर) में खुले पी.डी. खाते को बंद करने के निर्णय की पुनः समीक्षा का निवेदन किया। पी.डी. खाते को बन्द न करके उपलब्ध शेष का उपयोग करना।

आइटम नं. 04 – विश्वविद्यालय में कुल चार पी.डी. खाता है जिनको बन्द न करके उनमें उपलब्ध शेष का उपयोग किया जाना (वेतन पी.डी. खाते को छोडकर)

आइटम नं. 05– वित्त एवं लेखा शाखा के पी.एफ. सेक्शन की दो माह में डाटा तैयार करने हेतु **Computer Trained** कर्मचारी की अन्य विभागों से पद-स्थापित करने पर सहमति प्रदान की गई। माननीय सदस्य श्री चैनाराम जी द्वारा पिछली तीनों सालों का डाटा दो महीनों में तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

आइटम नं. 06 – पी.एफ. खाता 01/013 में उपलब्ध आधिक्य राशि की जमा सावधि बनाना। वित्त नियत्रंक द्वारा कमेटी सदस्यों की समक्ष यह मत प्रस्तुत किया गया कि पी.एफ. फण्ड में उपलब्ध राशि में ब्याज वितरण का वैज्ञानिक तरीके में त्रुटि की आंशका व्यक्त की गई तथा पी.एफ. फण्ड **Short** होने की भी आंशका व्यक्त की गई। तथ्यात्मक एवम् तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आइटम नं. 07 – पी.एफ. कार्यालय में उपलब्ध 100 करोड़ की राशि को पी.डी. खाते में हस्तांतरित करने पर आगामी बैठक मे विचार करना एवं तथ्यात्मक एवम् तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आइटम नं. 08– बैठक में यह निर्णय किया गया कि सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों का सेवानिवृति से तीन माह पूर्व ही **EPF/P.F.** की कटौती बंद करने के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कार्यालय स्तर से प्रशासनिक आदेश जारी किये जावे।

आइटम नं. 09– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त पत्रावलियाँ अनुमोदन या स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रेषित की जायेगी।

आइटम नं.10– बैठक में यह भी तय हुआ कि **EPF Module** के निर्धारण एवं आवश्यक संशोधन हेतु पी.एफ. कमेटी के सदस्य श्री प्रफुल्ल मेहता की सेवाएं ली जायेगी।

आइटम नं.11– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को **OWN P.F.** का भुगतान माह की प्रथम तारीख को ही किया जायें।

आइटम नं.12– किसी Subsriber के पूर्व में चल रहे Advance की दशा में पुन नवीन Advance जारी करने की परम्परा पर आपत्ति व्यक्त की गई तथा विश्वविद्यालय हैंड बुक के अनुसार ही Advance स्वीकृत करने के निर्देश दिए गये।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया ।

मंगलाराम बिश्नोई
वित्त नियंत्रक

प्रो. पी.सी.त्रिवेदी
कुलपति